POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 12-09-2024

थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में कारो का शीशा तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल आदि सामान चोरी करने वाले ठक-ठक गिरोह का एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी, एक अवैध तंमचा मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस, 04 मोबाइल फोन, 03 डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 07 आईडी कार्ड, 05 चैक बुक, 02 पासबुक, 01 बैग, किताब, 02 डायरी, घटना में प्रयुक्त शीशा तोड़ने का उपकरण, टार्च व चोरी किये गये कुल 10,700 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **12/09/2024** को **थाना सेक्टर-24** पुलिस द्वारा नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में मार्केट व अन्य स्थानों पर सड़क किनारे खडी कारो का शीशा तोड़कर लैपटॉप आदि सामान चोरी करने की घटनाओं के अनावरण के क्रम में गोपनीय सूचना की सहायता से ठक-ठक गिरोह के एक अभियुक्त सुब्रत कुमार पुत्र बिरजू को लाजिक्स मॉल से इस्कान मन्दिर की तरफ आने वाले रास्ते से आवश्यक बल प्रयोग करते हुए **गिरफ्तार** किया गया है। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी एविनिस, एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, चार मोबाइल फोन, तीन डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड, सात आईडी कार्ड, पाँच चैक बुक, दो पासबुक, एक बैग रंग काला, एक किताब, दो डायरी, चोरी किये गये कुल 10,700 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त शीशा तोड़ने का उपकरण व टार्च बरामद हुए है।

अपराध करने का तरीका-- गिरफ्तार अभियुक्त सुब्रत कुमार उपरोक्त से चोरी की घटनाओ के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि कारों का शीशा तोड़कर लैपटॉप, मोबाइल आदि सामान चोरी करने वाला हमारा एक संगठित गिरोह है। हम लोग गैंग के लीडर के बताये स्थान जैसे मार्केट, मॉल, सोसाइटियो आदि जगहों पर जाकर उनके बाहर खडी कारो का शीशा अपने पास मौजूद एक उपकरण द्वारा तोड़कर उसमें रखे लैपटॉप, मोबाइल आदि सामान को रात्रि के समय टार्च की रोशनी से देखकर चोरी करते है। घटना कारित करते समय हमारा गैंग लीडर व अन्य सदस्य विषम परिस्थिति में हमारी मदद के लिये कुछ दूरी पर मौजूद रहते है। चोरी की

घटना में जो मोबाइल, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते है उन्हे हम लोगो को झूठा आश्वासन व समस्या बताकर आसानी से बेच देते है। चोरी किये गये लैपटॉप, मोबाइल आदि सामान को बेचकर जो धन मिलता है उस धन को हम लोग गैंग के सभी सदस्यों में बराबर-बराबर हिस्सा बाँट लेते है। पिछले कई वर्षो से हम लोग यही शीशा तोड़कर सामान चोरी करने का काम कर रहे है। हम लोग इस तरह की कई घटनायें कर चुके है। हम लोगों का गिरोह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुडगाँव, फरीदाबाद, दिल्ली आदि एनसीआर क्षेत्र में गाडी का शीशा तोड़कर चोरी की घटनाये करता है।

अभियुक्त का विवरण--

1. सुब्रत कुमार पुत्र बिरजू निवासी दक्षिण पुरी ई-2 मदनगीर, थाना अम्बेडकरनगर, नई दिल्ली, उम्र 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 401/2024 धारा 303(2)/324(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 404/2024 धारा 303(2)/324(2) बीएनएस थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 407/2024 धारा 109/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 309/2024 धारा 324(2)/303(2) बीएनएस थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 369/2024 धारा 324(2)/303(2) बीएनएस थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 267/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 342/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-49, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 1248/2017 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर-39, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त सुब्रत कुमार उपरोक्त पूर्व में भी 6 बार दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद से जेल जा चुका है, अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी एविनिस
2. एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर
3. चार मोबाइल फोन
4. तीन डेबिट कार्ड

5. एक क्रेडिट कार्ड
6. सात आईडी कार्ड
7. पाँच चैक बुक
8. दो पासबुक
9. एक बैग रंग काला
10. एक किताब
11. दो डायरी
12. चोरी किये गये कुल 10,700 रूपये
13. घटना में प्रयुक्त शीशा तोड़ने का उपकरण व टार्च

2.थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैच करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से स्नैच किये हुए 11 मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 12.09.2024 को **थाना सेक्टर-49** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से मोबाइल स्नैच करने वाले 02 अभियुक्त 1.अंशुल पुत्र महकार सिंह व 2.विजय पुत्र रमेश को बरौला टी पाइन्ट से हनुमान मूर्ति की तरफ जाने वाली सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से छीने गये 11 मोबाइल फोन व चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 13 बीडब्लू 5014 बरामद की गई है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त अंशुल व विजय उपरोक्त के द्वारा दिल्ली, नोएडा आदि जगहों से चोरी की गयी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर राहगीरो से मोबाइल फोन को छीनते है। इनके द्वारा सभी मोबाइल फोन को एक साथ ले जाकर मुम्बई बेंचने का प्लान था। इनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है जिसके सम्बन्ध में थाना विजयनगर, गाजियाबाद पर एफआईआर0 सं0 0584/2024 धारा 303(2) बीएनएस0 पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त अंशुल व विजय उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह दोनों मुम्बई में काम करते थे, काफी समय से यह दोनो दिल्ली एनसीआर0 में अलग अलग जगहों पर रहकर दिल्ली, नोएडा से राहगीरों से मोबाइल छीनते है। मोबाइल छीनने के लिये इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही विजयनगर से एक मोटरसाइकिल चुरायी गयी थी जो इनसे बरामद हुयी है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अंशुल पुत्र महकार सिंह निवासी बुगराशी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता शक्ति नगर कॉलोनी, शास्त्री नगर, थाना दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
2. विजय पुत्र रमेश चन्द निवासी माकडी थाना स्याना जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ओमीक्रोन-1, ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 11 छीने गये मोबाइल
2. चोरी की मोटरसाइकिल रजि0 नं0 यूपी 13 बीडब्लू 5014

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0362/2024 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस0 थाना से0-49, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0584/2024 धारा 303(2) बीएनएस0 थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।